फाइल नं0-71-3001(099)/2/2025-03

87/2025/1/1038402/2025

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्साक शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग.3 लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषयः-केन्द्र सहायतित योजना फेज-2 के 08 तथा फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के नर्सिंग कालेजों में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु पदों का सृजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-1/2025/284 दिनांक 28.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्टप करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना फेज-2 के 08 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों तथा फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के नर्सिंग कालेजों में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किये जाने के संबंध में निर्णय लेते हुए आवश्यक शासकीय आदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत फेज-2 के 08 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों यथा-एटा, हरदोई] प्रतापगढ, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों यथा-बिजनौर, बुलन्दशहर, गोण्डा, कुशीनगर, पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, अमेठी, सोनभद्र, सुलतानपुर, कौशाम्बी, ललितपुर, लखीमपुर-खीरी एवं चन्दौली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन एवं इण्डियन नर्सिंग काउसिंल मानकों की पूर्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक मानव संसाधन के पदों (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक) का सृजन आई0एन0सी0 द्वारा जारी Notification दिनांक 05.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-1057/71-1001(099)/585/2021 दिनांक 28.12.2021 के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सृजित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तालिका में उल्लिकखित पद आई0एन0सी0 के नवीनतम मानक तथा चिकित्सात शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1057/71-1001(099)/585/2021 दिनांक 28.12.2021 में निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(2) मेडिकल कालेज द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित मानकों यथा-एम0सी0आई0/एन0एम0सी0/आई0एन0सी0 तथा कार्यात्मपक वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है। उक्त पदों पर नियुक्ति योग्यता के अनुरूप की जाये।

(3) कार्यात्मक आवश्यकता तथा इन पदों की अपरिहार्यता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही संस्थान द्वारा पदों को भरा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रधानाचार्य द्वारा उपर्युक्त कोर्स के संचालन के लिये पूर्व से सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पद एवं नव सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जायेगी।

(5) पदों के पदनाम, वेतनमान आदि का निर्धारण नियमानुसार समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार ही किया जाय।

(6) महानिदेशक/सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा संलग्नक में उल्लिखित वेतनमान एवं पे-लेवल आदि का परीक्षण स्वस्तर पर सुनिश्चित करने के उपरांत ही भर्ती/नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय एवं पदों की संख्या, वेतनमान आदि में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।

(7) इस संबंध में होने वाला व्यय संस्थान हेतु सुसंगत मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश आई0एन0सी0 द्वारा जारी Notification दिनांक 05.07.2021 एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1057/71-1001(099)/585/2021 दिनांक 28.12.2021 में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक.यथोक्त।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा),
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (फेज-2 एवं फेज-3)।
6. वित्त नियंत्रक, समस्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (फेज-2 एवं फेज-3)।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवनए लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक।

1- शैक्षणिक पद (नियमित)-प्रति नर्सिंग कालेज

S. No	Name of Post	Number of Posts As per INC Norms (60 B.Sc. Nursing Seats)	Level	Pay	Gross Salary Per Month (Basic + DA)	Total Salary per Year
1	Principal cum Professor	1	13A	131100-216600	200583	2406996
2	Vice Principal cum Professor	1	13A	131100-216600	200583	2406996
3	Associate Professor	2	12	78800-209200	241128	2893536
4	Assistant Professor	3	11	67700-208700	310743	3728916
5	Tutor	16	8	47600-151100	1165248	13982976
Total		**23**			**2118285**	**25419420**

2- गैर शैक्षणिक पद (आउटसोर्स)- प्रति नर्सिंग कालेज

S. No	Name of Post	Recruitment	Number of posts (60 B.Sc. Nursing Seats)
1	Administrative Officer	Outsource	1
2	Office Superintendent	Outsource	1
3	PA to Principal	Outsource	1
4	Accountant Cashier	Outsource	1
5	Upper Division Clerk	Outsource	2
6	Lower Division Clerk	Outsource	2
7	Store Keeper	Outsource	2
8	Librarian	Outsource	2
9	Wardens	Outsource	2
10	Classroom Attendant	Outsource	2
11	Sanitary Staff	Outsource	8
12	Security Staff	Outsource	6
13	Peons Office Attendant	Outsource	2
14	Librarian Attandants	Outsource	2
15	Hostal Attandant	Outsource	4
		Total	**38**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।